बिहार सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

।। अधिसूचना ।।

पटना, दिनांक– 25.03.2010

संख्या–7/च0 प0–208/98/2741/बिहार कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2002 (बिहार अधिनियम 7, 2002) की धारा–12 की उप धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार, उक्त अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाती है :–

बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा नियुक्ति हेतु ली जाने वाली परीक्षाओं के लिए संचालन नियमावली, 2010

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।– (1) यह नियमावली "बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संचालन नियमावली, 2010" कही जाएगी ।
   (1) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।
   (2) यह तुरंत प्रवृत्त होगी ।
2. परिभाषाएँ । – जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरूद्ध न हो, इस नियमावली में :–
   (i) "विभाग" से अभिप्रेत है कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग;
   (ii) "संबंधित विभाग" से अभिप्रेत है अधियाचना और नियुक्ति करने वाले विभाग;
   (iii) "आयोग" से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग; तथा
   (iv) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ संलग्न अनुसूची ।
3. बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा गैर तकनीकी पदों के लिए साल में न्यूनतम निम्न तीन परीक्षाएँ सामान्य रूप से आयोजित की जाएँगी :–
   (क) मैट्रिक या 10वीं पास स्तर
   (ख) इन्टर (+2) स्तर
   (ग) स्नातक स्तर
4. मैट्रिक स्तर (10वीं पास स्तर) से संबद्ध पदों की सूची अनुसूची (1) एवं स्नातक स्तर परीक्षा के लिए पदों की सूची अनुसूची (2) पर संलग्न है । इन अनुसूचियों में निहित सूचियों को कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा समय समय पर परिवर्तित किया जा सकेगा एवं इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए पदों की सूची अलग से बनायी जा सकेगी । कुछ विशिष्ट पदों के लिए विशिष्ट अर्हतायें भी संबंधित विभाग द्वारा निश्चित की जा सकेंगी जिससे अभिप्रेत होगा संबन्धित विशिष्ट अर्हता प्राप्त ही उक्त विनिर्दिष्ट पदों के लिए अर्हता प्राप्त माने जायेंगे ।
5. परीक्षाएँ दो चरणों में ली जाएँगी :–
   (क) प्रारंभिक परीक्षा
   (ख) मुख्य परीक्षा
6. किसी भी स्तर की परीक्षा के लिए, संवीक्षा के बाद 40000 (चालीस हजार) से कम आवेदन रहने पर प्रारंभिक परीक्षा सामान्यतः नहीं ली जाएगी ।
7. प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से उपलब्ध रिक्तियों के पाँच गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा जिन्हें मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा । मुख्य परीक्षा के आधार पर मेधा सूची–प्रारूप बनाया जाएगा ।
8. मेधा सूची प्रारूप तैयार करने के पश्चात् आयोग के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के सहयोग से प्रमाण पत्रों की प्रारंभिक जाँच एवं स्वास्थ्य जाँच कराई जाएगी और तत्पश्चात् अंतिम अनुशंसा संबंधित विभाग को भेजी जाएगी । संबंधित विभाग द्वारा भी प्रमाण पत्रों की जाँच के पश्चात् अभ्यर्थियों का पूर्ववृत्त सत्यापन करा लिया जाएगा ।

9. प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र होगा जिसके निम्नांकित विषय होंगे :–
   (क) सामान्य अध्ययन
   (ख) सामान्य विज्ञान एवं गणित
   (ग) मानसिक क्षमता जाँच (Comprehension/Logic/Reasoning/ Mental Ability)
   प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे ।

10. मुख्य परीक्षा के लिए दो पत्र होंगे :–
   (क) हिन्दी (जो अर्हक होगा यानि जो परीक्षार्थी इसमें 30 प्रतिशत या 30 प्रतिशत से अधिक अंक लाएँगे उन्हीं का दूसरा पत्र मूल्यांकित (Evaluate) किया जाएगा।
   (ख) मुख्य पत्र जिसमें निम्न विषय शामिल होंगे :–
      (i) सामान्य अध्ययन
      (ii) सामान्य विज्ञान एवं गणित
      (iii) मानसिक क्षमता जाँच (Comprehension/Logic/Reasoning/ Mental Ability)
      प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे ।

11. यदि नियम 4 के अधीन पदों की सूची में तकनीकी पद भी शामिल किए जाते हैं तो उस परिस्थिति में मुख्य परीक्षा के लिए संबंधित तकनीकी विषय के अतिरिक्त पत्रों को भी शामिल किया जाएगा जिस पर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा समुचित निर्णय लिया जाएगा ।

12. प्रारंभिक परीक्षाएँ पुस्तक सहित ली जाएँगी, यानि परीक्षार्थी चाहें तो अपने साथ पुस्तकों को ले जा सकते हैं ।

13. मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन देते समय सभी परीक्षार्थियों से उपलब्ध पदों के लिए विकल्प की माँग आवेदन में की जाएगी जिसे परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा। मुख्य परीक्षा के परिणाम के आधार पर तथा प्रमाण पत्र आदि एवं स्वास्थ्य जाँच के बाद मेधा एवं विकल्प को ध्यान में रखकर चयनित अभ्यर्थियों की अनुशंसा आयोग के द्वारा की जाएगी ।

14. अनुसूची (1) एवं अनुसूची (2) में उल्लिखित पदों से संबंधित सेवा/संवर्ग नियमावली में परीक्षा संचालन से संबंधित प्रावधानों को उपर्युक्त हद तक संशोधित समझा जाएगा ।

15. अधियाचना करने और मेधा सूची तैयार करने में आरक्षण/रोस्टर संबंधी राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत नियमों/अनुदेशों का अनुपालन आवश्यक होगा ।

16. ऊपर वर्णित नियमों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा के मानक एवं प्रकिया पर निर्णय लेने के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग स्वतंत्र होगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–
(राजीव लोचन)
सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक–7/च0 प0–208/98........................../ पटना, दिनांक–..................................

प्रतिलिपि–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजार बाग, पटना को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक मे प्रकाशनार्थ अग्रसारित। उनसे अनुरोध है कि बिहार राजपत्र की 1000 मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

ह0/–
(राजीव लोचन)
सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक–7/च0 प0–208/98./2741/ पटना, दिनांक–25.03.2010

प्रतिलिपि – सभी विभाग / सभी विभागाध्यक्ष /राज्यपाल सचिवालय/मुख्यमंत्री सचिवालय/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/सचिव, बिहार राज्य संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद /सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना एवं प्रधान सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

25/3/10

(राजीव लोचन)
सरकार के विशेष सचिव ।

अनुसूची–1
मैट्रिक स्तरीय पदों की सूची

कमांक	पद का नाम	अभ्युक्ति
1	निम्नवर्गीय लिपिक (सचिवालय)	
2	पंचायत सचिव	
3	निम्नवर्गीय लिपिक (क्षेत्रीय)	
4	राजस्व कर्मचारी	
5	मोहर्रिर	
6	प्रतिलिपिक (सर्वे)	
7	सांख्यिकी लिपिक	
8	महिला पर्यवेक्षिका	

अनुसूची–2
स्नातक स्तरीय पदों की सूची

कमांक	पद का नाम	अभ्युक्ति
1	सचिवालय सहायक	
2	आपूर्ति निरीक्षक	
3	अंचल निरीक्षक एवं कानूनगो	
4	कनीय सांख्यिकी सहायक	
5	सहायक परियोजना पदाधिकारी	
6	ग्राम पंचायत पर्यवेक्षक	
7	प्रखण्ड कल्याण पदाधिकारी	
8	श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी	
9	उद्योग प्रसार पदाधिकारी	
10	सहायक अंकेक्षण पदाधिकारी	सहकारिता विभाग
11	सहकारिता प्रसार पदाधिकारी	
12	सांख्यिकी पर्यवेक्षक	
13	वरीय सांख्यिकी पर्यवेक्षक	